email- rorpcb.jodhpur@gmail.com
Tele : 0291 –2723225

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-2, M.I.A Phase-I, Basni,
Jodhpur-342005 (Rajasthan)

Regd. Post

No. RO/RPCB/Jodh/NGT/Legal-34/ 1685 Date :- 13-08-2021

Registrar,

Hon'ble NGT Court,

Bhopal

Sub. : Submission of Repot incompliance of Hon'ble NGT order dated 31/05/2021 in O.A. no. 25/2021(CZ), Kishna Ram Vs. State of Rajasthan & Others

Ref. : Hon'ble NGT Court Bhopal order dated 31/05/2021.

Sir,

In reference with above subject matter Kindly find attached factual report in compliance of para no-9 of Hon'ble NGT order dated 31/05/2021 in O.A. no. 25/2021(CZ), Kishna Ram Vs. State of Rajasthan & Others.

Yours Sincerely

Encl: As above

(Amit Sharma)
Regional Officer

मौका फर्द

आज दिनांक 31-7-2021 को जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक न्यायिक/NGT/1733-1737 दिनांक 16-7-2021 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण बेंच भोपाल (मध्य प्रदेश) मे दायर याचिका संख्या 25/2021 (CZ) किशनाराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे दिए गए आदेश दिनांक 31-5-2021 की पालना सुनिश्चित करने हेतु श्री रामचन्द्र अति. जिला कलेक्टर शहर प्रथम जोधपुर, श्री सुनील पंवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, अमित शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व भारत सिंह तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम बेना तहसील शेरगढ़ मे किशनाराम (Applicant) के द्वारा बताए गए मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किशनाराम ने बताया कि मेरी शिकायत पर अवैध रूप से रावल राम द्वारा संचालित रंगाई छपाई का कारखाना दिनांक 17-7-2020 को NGT द्वारा गठित STF द्वारा सील किया गया था। इस घटना से नाराज हो कर रावल राम आदि ने दिनांक 19-7-2020 की रात मेरे खेत पर स्थित दो झोपड़ो मे आग लगा दी। घटना के वक्त बड़े झोपड़े मे पशुओं का चारा तथा छोटे मे लकड़ी भरी हुई थी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि रावलराम द्वारा रंगाई छपाई का अवैध कार्य अवैध रूप से पिछले 3-4 वर्षो से किया जा रहा था जिससे की गंदे पानी को उनके खेत मे डालने से खेती की जमीन व कुओं का पानी भी खराब हो गया है तथा पूरी जमीन बंजर हो गई है। इस जमीन पर वे वर्षो से खेती नही कर पा रहे है।

31.7.21

31-7-2021

Km. Surbhi

अमित शर्मा

झोपडे जलाने की घटना के बाद उनके द्वारा दिनांक 23-7-2020 को पुलिस थाना शेरगढ़ मे FIR दर्ज करवाई गई थी। उक्त FIR का नम्बर 176 है। FIR मे लगभग 1.50 लाख का ~~किन~~ नुकसान होना बताया गया है। उक्त FIR के सम्बन्ध मे मौके पर मौजूद पुलिस थाना अधिकारी शेरगढ़ द्वारा बताया गया कि बाद अनुसंधान चालान सक्षम न्यायालय मे पेश कर दिया गया है जो कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मौके पर श्री ~~किशना राम~~ किशनाराम द्वारा ~~क्षारीय~~ भूमी परिक्षण प्रयोगशाला की Report प्रस्तुत की गई और बताया गया कि इस Report के अनुसार पानी का नमूना हल्का लवणीय तथा अधिक तैलीय है यह पानी सतत् एंव सुरक्षित सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। Report की प्रति मौका फर्द के साथ संलग्न है। टीम द्वारा Tubewell के पानी का अवलोकन किया गया जो कि हल्का लाल रंग का पाया गया। उक्त किशना राम की Tubewell अवैध रूप से संचालित उद्योग से लगभग 300 m दूर स्थित है। संयुक्त दल द्वारा मौके पर जली हुए दोनो झोपडियां का भी मौका निरीक्षण किया गया जिसमे पाया गया कि मौके पर दोनो झोपड़ियाँ के जले हुए अवशेष शेष है बड़ी झोपडी मे चारे के जले अवशेष व छोटी झोपडी मे जली हुई लकड़ियां के अवशेष पडे हुए थे। संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा अवैध रूप से संचालित रंगाई छपाई उद्योग स्थल का भी निरीक्षण किया गया जो कि

Kam Singh

ओमप्रकाश

31-7-2021

31.7.21

मौके पर पूर्णतः बन्द पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि STF की कार्यवाही के बाद उक्त अवैध कार्य बन्द पड़ा है। मौके पर किशनाराम के खेत पर खरीफ की फसल बाजरा बोया हुआ ~~है~~ है जो मौके पर फसल कमजोर प्रतीत हो रही है। मौका फर्द उपस्थित लोगो के समक्ष पढ़ कर सुनाई गई व फोटोग्राफ व ~~[illegible]~~ कागजात संलग्न किये गये मौका फर्द सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर किए गए।

[signature] 31.7.2021   [signature] 31-7-2021   [signature] 31.7.21   [signature] 31/7/2021

[signature]
SHO शेरगढ़

[signature]
(किशनाराम)
Applicant

[signature]
(नरूराम)

[signature]
(पुखराज)

[signature]

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** जोधपुर ग्रामीण **P.S. (थाना):** शेरगढ़ **Year (वर्ष):** 2020

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0169 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/07/2020 16:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
2	भा दं सं 1860	269
3	भा दं सं 1860	277
4	भा दं सं 1860	336

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 17/07/2020 **Date To (दिनांक तक):** 17/07/2020

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/07/2020 **Time (समय):** 16:25 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 036 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/07/2020 16:25:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** पूर्व, 14.61 किमी **Beat No. (बीट सं.) :**

(b) **Address(पता):** TANA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

otal value of p
(चोरी हुई संपत्ति क
11. Inque

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MADHARAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): JATHARAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1964

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
1	आधार कार्ड (भा वि प प्रा)	402773129850

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NGT STF JODHPUR, बासनी, जोधपुर सिटी पश्चिम, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	RAMPURA BHATEYAN, मथानिया, जोधपुर सिटी पूर्व, राजस्थान, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.): 91

Mobile (मोबाइल न.): 91-9829993437

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAWALRAM		पिता:SUKHARAM	1. TANA,शेरगढ़,जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

फर्द खाना तलाशी व निरीक्षण व सिलसिले सिलिग कार्यवाही NGT नई दिल्ली के आादेशनुसार अवैधरंगाई छपाई कपडे कि घुलाई व सुखाई की फैक्ट्री द्वारा श्री रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 वर्ष पेशा खेती निवासी सुथारो कि ढाणी तेना थाना शेरगढ द्वारा अपने खेत मे अवैध कपडे के फैक्टी संचालन करना पाया जाना। मो 9549301577
मुर्तीबा दिनांक 17.07.2020 स्थान सुथारो कि ढाणी

तेना वक्त 10.30 एएम
रुबरु मौतबीरान
1 श्री सहीराम पुत्र रणजीताराम विश्नोई उम्र 49 वर्ष निवासी पली थाना मतौडा हाल हैड कानि 58 STF NGT जोधपुर
2 श्री किशोर कुमार पुत्र श्री भुराराम जाति जाट निवासी होलाणी थाना गीडा हाल कानि न 821 जोधपुर गामीण STF NGT जोधपुर

उपरोक्त मौतबीरान के रुबरु माफिक आदेश एनजीटी नई दिल्ली के आदेश क्रमाक 329/15 दिनाक 17-05-2019 कि पालना मे माफिक निर्देश अति.पुलिस अधीक्षक श्री सुनिल के पंवार RPS के प्रभारी STF NGTके निदेर्शानुसार परिवादी श्री शेराराम पुत्र धोकलराम जाति सुथार निवासी सुथारो कि ढाणी तेना मो 9358828315 वगैरा के परिवाद्व पर परिवाद मे बताये गेय तथ्यो के अनुसार थाना शेरगढ गाव तेना सरहद सुथारो कि ढाणी तेना से टीमडी रोड पर पहुचे तो सुथारो की ढाणी के सामने ही रावलाराम के खेत मे एक बडी फैक्टी कपडे सुखने के अडाण पर कपडे सुखते दिखाई दिये मौका पर वक्त 10.15 एएम पर पहुचे तथा वक्त 8.00 एएम STF NGT कार्यालय से मन SI माधाराम SI बुधसिह मय जाब्ता हैड कानि सहीराम न 58 कानि अशोक कुमार न 248 कानि किशोर कुमार कानि न 821 मय अनुबन्धीत वाहन बोलेरो RJ19TA 7143 चालक हनुमानराम न 718 मय अनुसंन्धान बाक्स के मौके पर पहुचे परिवादी के बताये अनुसार मौके पर आरोपी श्री रावलराम सुथार अपने 4-5 मजदूरो के साथ काम करते हूए मिले तब मन SI माधाराम ने अपना व अपने जाब्ते का STF NGT का परिचर देकर व परिवाद का हवाला देते हूए आरोपी को नाम पता पूछा मो नाम पता उपरोक्त बताया मौका पर 45 45 का पत्थर कि पटटीयो पर बास व लकडी का अडाण मिला जिस पर कपडे के थान सुखते हूए 25-30 थाना बताये व एक पैण्डिग मशीन कपडे निचोडने कि लगी पाई पास ही कपडे धोन कि कुल 11 पानी कि होदी पाई जिसमे पाच 5 मे कपडे के थान भीगोये हूए व छ 6 होदी खाली मिली जिसमे से नाली कि जरिेये सिलिकेट व रसायन युक्त गन्दा पानी उतर कि तरफ अपने खेत मे बडे कच्चे कुण्ड मे जाता हुआ पाया गया व पास ही एक पानी की टयूबैल खुदी हुई है जिससे काले प्लास्टीक पाईप के जरिये कच्चा होदकाला त्रिपाल डालकरबनाया हुआ है जो पानी कपडा धुलाई मे काम लिया जाता है व पानी कि होदीयो के पश्चिम कि आैर गीला व अद सुखा काले त्रीपाल से ढका हुआ पाया उसके पास ही मजदूरो के रहने के लिये पत्थर कि पटटीयो पर लोहे का चददर डाल कर कमरा बना हुआ है तथा पास मे ही एक टाटा ट्रक 1109 नम्बर RJ 19 GB 8317 बरंग भुरा खडी है जिसमे सुखे हूए कपडे के थान भरे हूये है जिसकी तसल्ली के लिए उक्त भरे हूये थान को खाली किये गये तो कुल 160 थान पाये जिसको पुन गाडी मे भरे गये व काले त्रिपाल से ढक कर रस्सी से बाधे गये व उक्त माल ट्रक चालक श्री सवाईसिह पुत्र भैरुसिह जाति राजपुत (भाटी) उम्र 40 वर्ष निवासी तेना थाना शेरगढ द्वारा फैक्टी संचालक को धुलाई हेतू बालोतरा से कपडा लाना व बाद धुलाई सुखाई के 8 पहुचाना उक्त कपडा बालोतरा से अलग अलग फैक्ट्रीयो लाना बताया है किसी का नाम पता नही बताया है कपडे के थाान का नाप तोल पूछने पर कोई निशति माप तोला नही बताया है सब अलग अलग कुछ थान 80 मीटर 90 मीटर के होना बताया है जिसका नाप तोल करना सम्भव नही है आरोपी व ट्रक चालक के बताये अनुसार ही लिखे गये है कपडे के थान रंग बिरगे है ट्रक कि मौके पर ही अलग से फर्द जब्ती मुतिर्ब कि गई है तथा मौके पर सचालक को पूछने पर बताया कि कुल थान 300 बताये है जो होद व अडाण व पास मे तथा गाडी मे पडे है मौके पर अवैध फैक्ट्री के पूर्व दिशा मे जवाहरसिह पुत्र शैतानसिह राजपुत निवासी तेना का खेत आया हुआ है दक्षिण दिशा मे तेना गाव से टिम्बडी गाव कि तरफ डामर रोड जाति हुई दर्शायी गयी है पश्चिम दिशा मे अपने स्वय का खेत व उसके अगे टिमडी रोड व सुथारो कि ढाणी आई हुई है। उतर दिशा मे अपने स्वय कि कृषि भुमी आई हुई है। जिसमे रसायन युक्त गन्दा पानी का कुण्ड खुले मे कच्चा बना हुआ है तथा पास ही एक साफ पानी का हौद बना हुआ है मोके पा संचालक रावलराम द्वारा सिलीकेट रसायन युक्त पानी खुले मे व कच्चे गढे मे छोडकर पर्यावरण व वनस्पति को नुकशान

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ
जिला–जोधपुर ग्रामीण

पहुचाना पाया गया उक्त पानी भुमी मे रिसाव होकर आस पास के जमीन व कुआ े मे जाकर खतरनाक सक्रमण को न्यौता देना पाया जाता है मानव जीवन पर्यावरण के लिये खतरनाक है जो जुर्म धारा 269,277,336 भादस व धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा मे पाया जाता है

मौके पर पानी कि कुण्डियो से होदियो से नाली द्वारा कच्च्ो कुण्ड मे व खाली जमीन मे जाते हूए को अलग अलग दो प्लास्टीक कि बोतलो मे भरकर वास्ते जाच हेतू लिया गया जिसमे नमुना सैम्पल मार्क A व कट्रोल सैम्पल मार्क B अंकित किया जाकर शिल्ड चैपा किया गया मौके कि सम्पूर्ण कार्यवाही कि विडियो ग्राफी व फोटोग्राफी कानि किशोर कुमार न 821 से करवाई गई विडियो ग्राफी व फोटो ग्राफी आईन्दा कार्यालय हाजा से CD बनवाई जाकर शामील पत्रावली कि जायेगी। उक्त अवैध संचालक के बारे मे संचालक रावलराम को पूछने पर ना तो अनुज्ञा पत्र अपने पास होना बताया न ही पेश किया नही कपडे के बारे मे बील गेट पास अन्य किसी प्रकार के कागजात पेश नही किये मौके पर STF टीम ने प्रवेश किया उसी सिथति मे मौके पर सम्पर्ण सिलिग कि कार्यवाही कर मौके पर अवैध कपडे कि फैक्टी खुले खेत मे होने से किसी प्रकार कि ताला बन्दी करने मे मजबूरी रही संचालक श्री रावलराम को हिदायत हुई कि मौका पर मिलर सामान अडाण कपडा पैण्डिग मशीन अला ावा ट्रक व ट्रक मे भरे हूए सामान के सम्पूर्ण जिम्मेदारी निगरानी व सुरक्षार्थ आप स्वय कि जिम्मेदारी होगी अत हिदायत हुई कि जिस स्थिति मे STF NGT टीम ने पाया बाद सिलिग कार्यवाही के आप सचालक को सुपुर्द किया जाता है बिना NGT व सम्बधित न्यायालय के आदेश के बिना उक्त सामान को न छेडछाड व खुर्द बुर्द नही करोगे यदि ऐसा करते हूऐ पाये गये तो आपके विरुद्व उक्त आदेशो कि अवेह्ल ा ा मे कार्यवाही कि जायेगी।

मौके पर जप्ती शुदा ट्रक RJ 19 GB 8317 मय जब्त शुदा माल व नमुना सैम्पल मार्क A O B आईन्दा सम्बधित थाना पहुच जमा मालखाना करवाया जायेगा

अत फर्द हाजा तलाशी व निरीक्षण मुतिर्ब हुई हाजरिन को पढकर सुनाई गई सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर करवाये जायेगे व एक प्रति संचालक को दि जायेगी व थाना पहुच प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा। रिपोर्ट वास्ते कायमी प्रकरण हेतू पेश है एसडी। सहीराम। एसडी जब्बरसिह।एसडी रावलराम। एसडी किशोर। एसडी प्रभारह STF NGT जोधपुर

थाना शेरगढ दिनाक 17-07-2020 समय 6.25 PM

यहि लिखित रिपोर्ट श्री माधाराम पुत्र स्व श्री जेठाराम जाति मेघवाल उम्र 56 वर्ष निवासी रामपुरा भाटिया थाना मथानिया हाल STF NGT आयुक्तालय जोधपुर ने मय जाब्ता मुतिर्बा फदार्थ मय जब्त सुदा वाहन RJ 19 GB 8317 मय कपडे के थान व सेम्पल नमुना कट्रोल सेम्पल के थाने पर उपसिथत होकर पेश कि मजमुन रिपोर्ट से अपराध धारा 269,277,336 भादस व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का घटित होना पाया जाता है अत मुकदमा पंजीबद्व कर अनुसंधन श्री मागीलाल हैड कानि न 110 के हवाले किया गया FIR कि प्रतिया नियमानुसार जारी होगी। CCTNS मे प्रविश्टि करने पर जारी FIR क्रमाक प्रथक से अंकित होगा। सेम्पल जमा मालखाना कराया। फर्दात पर मु. न. अंकित किया जायेगा। एसडी माधाराम। एसडी बाबुलाल उ नि थानाप्रभारी पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mangi Lal **Rank (पद):** प्रधान सिपाही

No(सं.): 110 **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ
जिला–जोधपुर ग्रामीण

) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): BABU LAL

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No(सं.):

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला—जोधपुर ग्रामीण

।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण।।

क्रमांकः— 4527 दिनांकः— 9/11/20

सेवामें

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
जोधपुर राजस्थान।

और से बनाम गैर सायल

थानाधिकारी
पुलिस थाना शेरगढ़
जिला जोधपुर ग्रामीण।

1.रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर राज0

—:इस्तगासा अन्तर्गत धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986:—

महोदयजी,

वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.2020 को श्री माधाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति मेघवाल उम्र 56 वर्ष निवासी रामपुरा भाटिया थाना मथानिया हाल STF NGT आयुक्तालय जोधपुर ने मय जाब्ता मुर्तिबा फदार्थ मय जब्ती सुदा वाहन RJ19 GB 8317 मय कपडे के थान व सेम्पल नमुना कट्रोल सेम्पल के थाने पर उपस्थित होकर पेश की कि माफिक आदेश एनजीटी नई दिल्ली के आदेश क्रमाक 329/15 दिनाक 17—05—2019 कि पालना मे माफिक निर्देश अति.पुलिस अधीक्षक श्री सुनिल के पंवार RPSके प्रभारी STF NGT निदेशानुसार परिवादी श्री शेराराम पुत्र धोकलराम जाति सुथार निवासी सुथारो कि ढाणी तेना मो 9358828315 वगैरा के परिवाद पर परिवाद मे बताये गये तथ्यो के अनुसार थाना शेरगढ गाव तेना सरहद सुथारो कि ढाणी तेना से टिम्बडी रोड पर पहुचे तो सुथारो की ढाणी के सामने ही रावलराम के खेत मे एक बडी फैक्टी कपडे सुखने के अडाण पर कपडे सुखते दिखाई दिये मौका पर वक्त 10.15 एएम पर पहुचे तथा वक्त 8.00 एएम STF NGT कार्यालय से मन SI माधाराम SI बुधसिह मय जाब्ता हैड कानि सहीराम न 58 कानि अशोक कुमार न 248 कानि किशोर कुमार कानि न 821 मय अनुबन्धीत वाहन बोलेरो RJ19TA 7143 चालक हनुमानराम न 718 मय अनुसंधान बाक्स के मौके पर पहुचे परिवादी के बताये अनुसार मौके पर आरोपी श्री रावलराम सुथार अपने 4—5 मजदूरो के साथ काम करते हूए मिले तब मन SI माधाराम ने अपना व अपने जाब्ते का STF NGT का परिचय देकर व परिवाद का हवाला देते हुए आरोपी को नाम पता पूछा तो नाम पता उपरोक्त बताया मौका पर 45X45 का पत्थर कि पटटीयो पर बास व लकडी का अडाण मिला जिस पर कपडे के थान सुखते हूए 25—30 थाना बताये व एक पैण्डिाग मशीन कपडे निचोडने कि लगी पाई पास ही कपडे धोन कि कुल 11 पानी कि होदी पाई जिसमे पाच 5 मे कपडे के थान भीगोये हूए व 6 होदी खाली मिली जिसमे से नाली कि जरिये सिलिकेट व रसायन युक्त गन्दा पानी उतर कि तरफ अपने खेत मे बडे कच्चे कुण्ड मे जाता हुआ पाया गया व पास ही एक पानी की टयूबैल खुदी हुई है जिससे काले प्लास्टीक पाईप के जरिये कच्चा होद काला त्रिपाल डाल कर बनाया हुआ है जो पानी कपडा धुलाई मे काम लिया जाता है व पानी कि होदीयो के पश्चिम कि और गीला व अद सुखा काले त्रीपाल से ढका हुआ पाया उसके पास ही मजदूरो के रहने के लिये पत्थर कि पटटीयो पर लोहे का चदर डाल कर कमरा बना हुआ है तथा पास मे ही एक टाटा ट्रक 1109 नम्बर RJ 19 GB 8317 बरंग भुरा खडी है जिसमे सुखे हूए कपडे के थान भरे हूयें है जिसकी तसली के लिए उक्त भरे हूये थान को खाली किये गये तो कुल 160 थान पाये जिसको पुन गाडी मे भरे गये व काले त्रिपाल से ढक कर रस्सी से बाधे गये व उक्त माल ट्रक चालक श्री सवाईसिह पुत्र भैरुसिह जाति राजपुत (भाटी) उम्र 40 वर्ष निवासी तेना थाना शेरगढ द्वारा फैक्टी संचालक को धुलाई हेतू बालोतरा से कपड़ा लाना व बाद धुलाई सुखाई के 8 पहुचाना उक्त कपडा बालोतरा से अलग अलग फैक्ट्रीयो लाना बताया है किसी का नाम पता नही बताया है कपडे के थान का नाप तोल पूछने पर कोई निश्चित माप तोला नही बताया है सब अलग अलग कुछ थान 80 मीटर 90 मीटर के होना बताया है जिसका नाप तोल करना सम्भव नही है आरोपी व ट्रक चालक के बताये अनुसार ही लिखे गये है कपडे के थान रंग बिरगे है ट्रक कि मौके पर ही अलग से फर्द जब्ती मुतिर्ब कि गई है तथा मौके पर सचालक को पूछने पर बताया कि कुल थान 300 बताये है जो होद व अडाण व पास मे तथा गाडी मे पडे है मौके पर अवैध फैक्ट्री के पूर्व दिशा मे जवाहरसिह पुत्र शैतानसिह राजपुत निवासी तेना का खेत आया हुआ है दक्षिण दिशा मे तेना गाव से टिम्बडी गाव कि तरफ डामर रोड जाती हुई गयी है पश्चिम दिशा मे अपने स्वय का खेत व उसके आगे टिम्बडी रोड व सुथारो कि ढाणी आई हुई है। उतर दिशा मे अपने स्वय कि कृषि भुमी आई हुई है। जिसमे रसायन युक्त गन्दा पानी का कुण्ड खुले मे कच्चा बना हुआ है तथा पास ही एक साफ पानी का हौद बना हुआ है मोके पा संचालक रावलराम द्वारा सिलीकेट रसायन युक्त पानी खुले मे व कच्चे गढे मे छोडकर पर्यावरण व वनस्पति को नुकशान पहुचाना पाया गया उक्त पानी भुमी मे रिसाव होकर आस पास के जमीन व कुओ मे जाकर खतरनाक सक्रमण को न्यौता देना पाया जाता है मानव जीवन पर्यावरण के लिये खतरनाक है जो जुर्म धारा 269,277,336 भादस व धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा मे पाया जाता है। मौके पर पानी कि कुण्डयो से होदियो से नाली द्वारा कच्छे कुण्ड मे व खाली जमीन मे जाते हूए को अलग अलग दो प्लास्टिक कि बोतलो मे भरकर वास्ते जाच हेतू लिया गया जिसमे नमुना सैम्पल मार्क A व कट्रोल सैम्पल मार्क B अंकित किया जाकर शिल्ड चैपा किया गया मौके कि

थानाधिकारी
पुलिस थाना शेरगढ
जिला—जोधपुर ग्रामीण

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ

सम्पूर्ण कार्यवाही कि विडियो ग्राफी व फोटोग्राफी कानि किशोर कुमार न 821 से करवाई गई विडियो ग्राफी व फोटो ग्राफी आईन्दा कार्यालय हाजा से बनवाई जाकर शामील पत्रावली कि जायेगी। उक्त अवैध संचालक के बारे मे संचालक रावलराम को पूछने पर ना तो अनुज्ञा पत्र अपने पास होना बताया न ही पेश किया नही कपडे के बारे मे बील गेट पास अन्य किसी प्रकार के कागजात पेश नही किये मौके पर STF टीम ने प्रवेश किया उसी स्थिति मे मौके पर सम्पर्ण सिलिग कि कार्यवाही कर मौके पर अवैध कपडे कि फैक्टी खुले खेत मे होने से किसी प्रकार कि ताला बन्दी करने मे मजबूरी रही संचालक श्री रावलराम को हिदायत हुई कि मौका पर मिला सामान अडाण कपडा पैण्डिग मशीन अलावा ट्रक व ट्रक मे भरे हूए सामान के सम्पूर्ण जिम्मेदारी निगरानी व सुरक्षार्थ आप स्वय कि जिम्मेदारी होगी अत हिदायत हुई कि जिस स्थिति मे STF NGT टीम ने पाया बाद सिलिग कार्यवाही के आप सचालक को सुपुर्द किया जाता है बिना NGT व सम्बधित न्यायालय के आदेश के बिना उक्त सामान को न छेडछाड व खुर्द बुर्द नही करोगे यदि ऐसा करते हूऐ पाये गये तो आपके विरुद्व उक्त आदेशो कि अवेहला मे कार्यवाही कि जायेगी। मौके पर जप्ती शुदा ट्रक RJ19 GB 8317 मय जब्त शुदा माल व नमुना सैम्पल मार्क A व B के थाना पहुंच कायमी प्रकरण दर्ज होगा। अत फर्द खाना तलाशी व निरीक्षण मुतिर्ब हुई हाजरिन को पढकर सुनाई सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये व एक फर्द सचालक को निःशुल्क दी गई। थाना शेरगढ पहुच कर नमुना सैम्पल मार्क ए व बी जमा मालखाना करवाये जाकर कायमी मुकदमा हेतू रिपोर्ट पेश की। वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 169 दिनांक 17.07.2020 धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व 269,277,336 भादस में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान मुस्तगीस श्री माधाराम व गवाहान श्री बुद्वसिंह, श्री सहीराम, श्री किशोर कुमार, श्री अशोक कुमार व श्री हनुमानाराम के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किये गये। कपड़ा धुलाई की अवैध फैक्ट्री स्थल का मौका तस्दीक किया गया। कपड़ा धुलाई की अवैध फैक्ट्री स्थल की जमीन के मालिकाना हक बाबत पटवारी पटवार मण्डल तेना से राजस्व रिकर्ड व ट्रेस नक्शा पत्र के संलग्न प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। कपड़ा धुलाई की अवैध फैक्ट्री पर कार्यवाही के दौरान एसटीएफ द्वारा की गयी कार्यवाही की विडियों ग्राफी की सीडी पत्र के संलग्न प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी। रसायानयुक्त गंदे पानी की बोतले नमूना सेम्पल मार्क ए व बी को जांच हेतु भिजवाया गया। लिंग गवाह श्री व्रिकमसिंह व श्री महिपाल के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी के तहत लिये गये। प्रकरण हाजा से सम्बन्धित गवाह श्री मोहनराम, श्री सवाईराम व श्री नखतसिंह से तफ्तीश कर बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी के तहत लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। जब्त सुदा वाहन नम्बर आरजे 19 जीबी 8317 के वाहन मालिक व चालक श्री सवाईसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ से तफ्तीश कर वाहन के कागजात व आम मुख्तयारनामा की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। वाहन मालिक व चालक श्री सवाईसिंह से विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधान मौका तस्दीक, बयाहान गवाहान, रेवन्यू रिकार्ड, खेत खसरा सम्बन्धी कागजात, पुछताछ मुलजिम रावलराम से पाया कि मुल्जिम रावलराम द्वारा सामलाती खेत में अपने हक हिस्से की जमीन सरहद तेना में कृषि भूमि में कपड़ा धुलाई की अवैध फैक्ट्री संचालित कर उसका अपशिष्ठ रसायन युक्त गंदा पानी आसपास के खेतों में खुले नाले के जरिये छोड कर प्रर्यावरण प्रदूषित कर आमजनों के जीवन को संकटापन्न करना जुर्म धारा 269,277,336 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अपराध कारित प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में जुर्म 07 वर्ष से कम की अवधि का होने के कारण धारा 41ए सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत पालना करवाने बाबत नोटिस जारी कर मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर को तलब कर मुलजिम से अनुसंधान एवं पुछताछ करने पर जुर्म अन्तर्गत धारा 269,277,336 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम रावलराम के विरूद्व फर्द यादाश्त के क्रम में अन्तर्गत धारा 41(1)(क) जा.फौ. मुर्तिब कर आजाद किया गया।

सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर के विरूद्व धारा 269,277,336 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अपराध पूर्णतया प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण हाजा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला हाजा से नतीजा चालान आदेश प्राप्त कर चार्जशीट नम्बर 77 दिनांक 31.07.2020 धारा 269,277,336 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कता की जा चुकी है।

अतः इस्तगासा हाजा बरखिलाफ मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर के विरूद्व जुर्म धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में श्रीमान जी के समक्ष पेश कर निवेदन है कि मुलजिम के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करावें।

नोटः– निवेदन है कि मुकदमा नम्बर 169 दिनांक 17.07.2020 धारा 269,277,336 भादस व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में चार्जशीट कता कर चार्जशीट नम्बर 77 दिनांक 31.07.2020 धारा 269,277,336 आईपीसी में चालान श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट बालेसर के समक्ष पेश किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है।

संलग्न दस्तावेजः– मु.न. 169/2020 की पूर्ण चार्जशीट की प्रमाणित छायाप्रति।

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़

भवदीय

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़

FINAL REPORT

अंतिम प्रपत्र / रिपोर्ट
(Under Section 173 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : RAVI PRAKASH BAKOLIYA (के न्यायालय में)

1.**District(जिला):** जोधपुर ग्रामीण **P.S.(थाना):** शेरगढ़ Year **(वर्ष)**2020
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0176 **Date(दिनाँक):** 23/07/2020
2.**Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र** 01
3.Date 30/09/2020

4.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	436

5.**Type of Final Form/Report(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):** आरोप पत्र
6.**If FR Unoccurred(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):**
7.**If Charge sheet(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):** मूल
8.**Name of I.O.(जाँच अधिकारी का** Mangi Lal Rank **(पद) :** HC (Head Constable)
No. **(सं.):** 110 **(at the time of charge sheet)(आरोप पत्र दाखिल करते समय)**

9.(a) **(क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):** KISHANA RAM
(b) **(ख) Father's Name(पिता का नाम):** mukanaram

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S.No क्र.सं.	Property Description सम्पत्ति का विवरण	Estimated Value (in Rs.) अनुमानित मूल्य (रु.	P.S. Property Register No. थाना सम्पत्ति रजिस्टर	From whom/ where recovered or seized कहाँ/किससे जब्त/बरामद	Disposal निराकरण

11. **Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):**
S. No.(क्रम संख्या): 1
(i) **Name(नाम):** RAWALRAM
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ
(ii) **Father's Name(पिता का नाम):** SUKHARAM
(iii) **Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष):** 1982
(iv) **Sex(लिंग):** पुरुष
(v) **Nationality(राष्ट्रियता):** भारत
(vi) **Passport No.(पासपोर्ट संख्या):**
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):
(vii) **Religion(धर्म):**
(viii) **Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):** अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
(ix) **Occupation(व्यवसाय):**

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

थानाधिकारी

थानाधिकारी

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TENA, शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	TENA, शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत

Whether verified(क्या सत्यापित हैं?): हाँ

(xi) Regular Criminal No. (if known)नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 08/09/2020

(xiii) Date of release on bail(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	436

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name(नाम):

Father's / Husband's name(पिता / पति का नाम):

Occupation(व्यवसाय):

Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	
2	स्थायी पता	

Identification(पहचान):

Date of Birth(जन्मतिथि): UID Number(संख्या):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No. (क्र.सं.)	ID Type (प्रमाण पत्र प्रकार)	ID Number (प्रमाण पत्र संख्या)

(xvii) Previous convictions with case references(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

S. No. (क्र. सं.)	FIR No (प्र.सु.रि. स.)	State (राज्य)	District (ज़िला)	PoliceStation (थाना)	Description Of Case (मामले का विवरण)	Details of Conviction / Acquittal (सजा/आरोपमुक्त

(xviii) Status of the accused(अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

S. No.(क्रम संख्या): 1

(i) Name MUNARAM Whether verified(क्या सत्यापित हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): SUKHARAM

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue(जारी करने की तिथि): Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

S.No. (..)	Address Type ( )	Address p ()
1	वर्तमान पता	TENA, शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	TENA, शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत

Whether verified(क्या सत्यापित हैं?): हाँ

(xi) Suspicion approved(संदेह अनुमोदित): नहीं

(xii) Status of the accused (suspect)(अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xiii)Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv)Any Special remarks including reasons for not charge sheeting(आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति):

अनुसंधान से इनके विरूद्व जुर्म प्रमाणित नही पाया गया है।

S. No.(क्रम संख्या): 2

(i) Name JASURAM Whether verified(क्या सत्यापित हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): SUKHARAM

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 1987

(iv) Sex पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue(जारी करने की तिथि): Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला—जोधपुर ग्रामीण

S.No. (..)	Address Type ( )	Address p ()
1	वर्तमान पता	TENA, शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	TENA, शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत

Whether verified(क्या सत्यापित हैं?): हाँ

(xi) Suspicion approved(संदेह अनुमोदित): नहीं

(xii) Status of the accused (suspect)(अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xiii) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting(आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति):

अनुसंधान से इनके विरूद्व जुर्म प्रमाणित नही पाया गया है।

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

Sl.No (क्र.सं.)	Name (नाम)	Father's / Husband's name (पिता / पति का नाम)	Date/Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)	Mobile Number (मोबाइल नंबर)
1	Mangi Lal		02/07/1977		वर्तमान पता : Padayal, Phalodi, RAJASTHAN, JODHPUR RURAL, BHOJASAR, INDIA स्थायी पता : Karnipura, Padayal, Phalodi, RAJASTHAN, JODHPUR RURAL, BHOJASAR, 342308, INDIA	जाँच अधिकारी	9982585652

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C (यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (Add separate sheet, if necessary)
मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

चार्जशीट नम्बर 94 दिनांक 16.09.2020 धारा 436 भादस, मुकदमा नम्बर 176 दिनांक 23.07.2020 पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण।

महोदयजी,

वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 23.07.2020 को प्रार्थी किशनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति सुथार उम्र 69 वर्ष पैशा खेती निवासी तेना थाना शेरगढ ने उपस्थित थाना होकर एक टाईप सुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 19-07-2020 कि मध्य रात्री बाद लगभग 1.30 बजे मेरी पुरानी ढाणी जिस मे एक झोपडा जो चारा से भरा हुआ था तथा पास मे एक छोटी झप्पी थी जिसे आग लगाकर जला दिया जिस से मुझे झोपडा उस मे भरा हुआ पशु चारा तथा छोटी झूप्पी को मिलाकर लगभग 1-50 लाख का नुकशान पहुचाया है हमारे पडोस मे अवेध कपडा धोने कि फेक्ट्री रावलराम, मुनाराम, जसुराम,पि सुखाराम जाति सुथार निवासी तेना ने दिनाक 15-07-2020 को लगाई थी जिसे हम समस्त ढाणी वालो ने मिलकर मना किया था उस के बाद भी रावलराम वगैरा नही माने तो श्रीमान उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को दिनाक 16-07-2020 को हमारे पुरे ढाणी वाले आकर फेक्ट्री को बन्द करवाने कर प्रार्थना पत्र पेश किया । दिनाक 17-07-2020 को एनजीटी जोधपुर कि टीम ने फेक्ट्री पर छापा मारकर कपडा तथा एक ट्रक जब्त किया तथा फेक्ट्री को सीज किया गया । इस कारण

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ
जिला- जोधपुर ग्रामीण

रावलराम वगैरा ने हम सभी को धमकी दी और नुकशान करने कि बात कही। दिनाक 19-07-2020की मध्य रात्री बाद मेरे नुकशान करने की सुचना मेने मेरे भाईयो तथा पडोस के मोजीज लोगो को मेरे घर बुलाकर दिनाक 20-07-2020 को सुबह दी। जिस मे मौजिज व मेरी ढाणी वाले लोगो ने रावलराम को मेरे घर बुलाकर पूछताछ कि जिसमे रावलराम मे अपनी गलती स्वीरकार की और कहा की किशनाराम जी के जो नुकसान हुआ है।उस का कारण मेरी फेक्ट्री ही है। मै आज शाम तक आप लोगो को बुलाकर किशनाराम जी से राजीनामा कर लुगा तब वहा मौजूद शैतानसिह ,गणपतसिह ,खेमसिह,मेताबसिह, नरुराम, धोकलराम,बाबुराम,रुपाराम,खियाराम सहित 15-20 लोगो ने मुझे 20-07-2020 की शाम तक को रुकने का कहा। आज सुबह तक मैने रावलराम का मौजिज लोगो के कहे अनुसार इन्तजार किया परन्तु किसी प्रकार कि राजिनामा कि कोई बात नही हुई। मुझे पुरा विशवास है कि मेरा झोपडा व झूप्पी जलाने का काम रावलराम या उस के कहे अनुसार किसी ने किया है जिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करावे। अत श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्ते आग जनी लगी उस के सन्दर्भ मे शीर्घ कार्यवाही कर के दोषी व्यक्ति के खिलाफ उचित कानुनी कार्यवाही करावे। वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 176 दिनांक 23.07.2020 धारा 436 भादस में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी श्री किशनाराम व गवाहान श्री जसुराम, श्री खिंयाराम, श्री धोकलराम, श्री बाबुराम, श्री नरूराम, श्री भैराराम व श्री शैतानसिंह से अनुसंधान कर बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी के तहत लिये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ के विरूद्ध जुर्म धारा 436 भादस का अपराध पूर्णतया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द गिरफतारी के गिरफतार कर पूछताछ की गई। मुलजिम रावलराम के इतला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनुसार घटनास्थल का मौका तस्दीक किया गया। मुलजिम रावलराम को बाद अनुसंधान न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

हासला तफतीश प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा मौका व हालात मौका, बयान प्रार्थी व गवाहान, फर्द गिरफतारी मुलजिम, फर्द ईतला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फर्द मौका तस्दीक एवं पत्रावली पर आये सम्पूर्ण साक्ष्यों से मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ द्वारा दिनांक 19.07.2020 की रात्री में प्रार्थी के खेत में बने चारा झोपडे में आग लगा कर जला दिया जिससे मुलजिम रावलराम के विरूद्ध जुर्म धारा 436 भादस का अपराध पूर्णतया प्रमाणित पाया गया है।

अत: चार्जशीट हाजा बरखिलाफ मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ के अन्तर्गत जुर्म धारा 436 भादस में पेश अदालत कर निवेदन है कि बाद ट्रायल कानूनी सलूक फरमावें।

सूची दस्ता वेज-

1 प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्क-01, 2 नक्शा मौका व हालात मौका वर्क-02, 3 बयान प्रार्थी व गवाहान वर्क-08, 4 फर्द गिरफतारी मुलजिम वर्क-02, 5 फर्द इतला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम वर्क-01, 6 फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल वर्क-01, 7 साक्ष्य बंध पत्र वर्क-07, 8 सकूनत दस्तावेज वर्क-08

सूची गवाहान-

1.श्री किशनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति सुथार उम्र 70 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर मो.न. 8003316955- मुस्तगीस

2.गवाह श्री जसुराम पुत्र श्री सांगाराम जाति सुथार उम्र 45 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर मो.न. 9427849314- मौका मौतबीर, चश्मदीद गवाह

3.श्री खिंयाराम पुत्र राणाराम जाति सुथार उम्र 55 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर मो.न. 9828579964 - मौका मौतबीर, चश्मदीद गवाह

4.श्री धोकलराम पुत्र खुशालाराम जाति सुथार उम्र 68 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर मो.न. 9784846361- पडौसी गवाह

5.श्री बाबुराम पुत्र खुशालाराम जाति सुथार उम्र 69 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर मो.न. 8003316955- पडौसी गवाह

6.श्री नरूराम पुत्र मुकनाराम जाति सुथार उम्र 54 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर मो.न. 9636372275- पडौसी गवाह

7.श्री भैराराम पुत्र सोनाराम जाति सुथार उम्र 43 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर मो.न. 8003316955- पडौसी गवाह

8.श्री शैतानसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत उम्र 67 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर मो.न. 9414487425- पडौसी गवाह

9.श्री पवन कुमार पुत्र श्री भीखाराम जाति विष्नोई उम्र 24 साल पैशा नौकरी निवासी मोटाई पुलिस थाना चाखू जिला जोधपुर हाल कानि नम्बर 1127 पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर मो.न. 7665546753- मौतबीर फर्द

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

गिरफतारी मुलजिम, फर्द मौका तस्दीक
10. श्री कैलाश पुत्र श्री धर्माराम जाति जाट उम्र 22 साल पैशा नौकरी निवासी नाड़सर पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल कानि नम्बर 1342 पुलिस थाना शेरगढ़ मो.न. 9602373299-मौतबीर फर्द गिरफतारी मुलजिम, फर्द मौका तस्दीक
11. श्री डुंगरसिंह पुत्र श्री गोरधनराम जाति जाट उम्र 29 साल पैशा नौकरी निवासी मानपुरा गिडा पुलिस थाना गिडा जिला बाडमेर हाल कानि नम्बर 716 पुलिस थाना शेरगढ मो.न. 9828192911- मौतबीर फर्द मौका तस्दीक
12. श्री मांगीलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति गायणा उम्र 40 वर्ष पैशा नौकरी निवासी पड़ियाल पुलिस थाना भोजासर हाल हैड कानि.न. 110 पुलिस थाना शेरगढ मो.न.(9982585652)-तफतीशी हालात
13. श्री कैलाशदान पुत्र श्री हेतुदान जाति चारण उम्र 45 साल पैषा नौकरी निवासी भियाड़ पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर हाल निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण मो.न. 9929373131- कायमी मुकदमा
14. देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल पैषा नौकरी निवासी मोहनगढ थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर हाल थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़ मो.नं. 9001802670- नतीजा चार्जशीट

17. **Refer Notice served (जारी किए नोटिस):** **Date(दिनाँक):**
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):
18. **Despatched on(प्रेषण की तिथि):**
19. **No. of enclosures (संलग्नकों की संख्या):** 24
20. **List of enclosures : As annexed (संलग्नकों की सूची):** IIF-1.pdf,IIF-2.pdf,REPORT 176.pdf,IIF-3.pdf, Case_Diary_01.pdf, Case_Diary_02.pdf, Case_Diary_03.pdf, Case_Diary_04.pdf, Case_Diary_05.pdf, Case_Diary_06.pdf,Kishnaram Photo.jpg, witnessStatementKISHANA RAM-fir-278790702001761600428781982.pdf,Naksha Moka CRN 176-2020.pdf,Jasuram Photo.jpg, witnessStatementजसुराम-fir-278790702001761600429634982.pdf,Khiyaram Photo.jpg, witnessStatementखीयाराम-fir-278790702001761600429916961.pdf,Byan Gahwan.pdf, Garptari Mulgim.pdf,Mulgim etla v moka tasdik.pdf, Kishnaram ID.pdf,Jasuram ID. pdf,Khiyaram ID.pdf

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ
जिला-- जोधपुर ग्रामीण

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet .
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name(): Mangi Lal
Rank(पद): HC (Head Constable)
No.(सं.): 110

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name(नाम): Devendra Singh Rathore
Rank(पद): निरीक्षक
No.(सं.):

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला--जोधपुर ग्रामीण

FINAL FORM/ REPORT

अन्तिम फार्म / रिपोर्ट

Under Section 173 CRPC

(दण्ड प्रकिया संहिता 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF.......श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम वर्ग बालेसर..............................के हस्ताक्षर

1 जिला जोधपुर थाना शेरगढ़ वर्ष ....2020..... प्र.सू.रि.स ....169...............दिनांक 17.07.2020...................

2. अन्तिम रिपोर्ट / आरोप संख्या..........77.............................. दिनांक...........31.07.2020.......................................

3. अधिनियम........भादस..................धाराएं............269,277,336 भादस...

4. अधिनियम.............................NIL...................................धाराएं.............................NIL..

5. अन्तिम फार्म / रिपोर्ट का प्रकार आरोप पत्र दाखिल किया / साक्ष्य अभाव के कारण आरोप पत्र दाखिल नही किया / अन्तिम रिपोर्ट सही पता नही लगा / अन्तिम रिपोर्ट सही मिल नही रही / अन्तिम रिपोर्ट सही अपराध कम किया गया / अन्तिम रिपोर्ट अघटित
(लागू √ हिस्से पर चिन्ह लगाएं) ....

6. यदि अन्तिम रिपोर्ट अघटित झूठी / तथ्यों की त्रुटि / कानूनी त्रुटि / असंज्ञेय दीवानी
....
(लागू √ हिस्से पर चिन्ह लगाएं)

7. यदि आरोप पत्र दाखिल किया:– मूल / अनुपूरक
(लागू √ हिस्से पर चिन्ह लगाएं)..................मूल...

8. जांच अधिकारी का नाम......श्री मांगीलाल ....पद... हैड़ कानि 110 पुलिस थाना शेरगढ़.................................
(आरोप पत्र दाखिल करते समय)

9. शिकायत कर्ता / इतिला देने वाले का नाम पता........ श्री माधाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति मेघवाल उम्र 56 वर्ष निवासी रामपुरा भाटिया थाना मथानिया हाल उनि कार्यालय STF NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोधपुर. ....

10. जांच के दौरान बरामद / जब्त सम्पति / वस्तु / दस्तावेज का विवरण जिन्हे आधार बनाया गया हो, (आवश्यकतानुसार अलग सूची संलग्न करें)

क. स.	सम्पति का विवरण	अनुमानित मूल्य	थाना सम्पति रजिस्टर संख्या	कहां / किससे जब्त अथवा बरामद की गई	निराकरण
1	2	3	4	5	6
1	मालखाना रजिस्टर की नकल प्रति संलग्न है।	–	–	–	–

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

थानाधिकारी
पुलिस थाना शेरगढ़
जिला जोधपुर ग्रामीण

चार्जशीट नम्बर 77 दिनांक 31.07.2020 धारा 269,277,336 भादस, मुकदमा नम्बर 169 दिनांक
पुलिस थाना शेरगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण।

1. आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरणः (प्रत्येक अभियुक्त के लिए अलग पृष्ठ नत्थी करें)

क.स..........01........................

(i) नाम........ रावलराम........क्या सम्पति है.......हां.......................................

(ii) पिता का नाम........ श्री सुखाराम............जन्मतिथी/वर्ष 38 वर्ष ....

(iii) लिंग.......पुरूष ....राष्टीयता...........भारतीय..

(iv) धर्म.............हिन्दु............. अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग........सुथार.................................

(v) व्यवसाय..............मजदूरी..

(vi) पता.......... निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर मो.न..9549301577..............................

(vii) गिरफतारी की तिथी................26.07.2020 (नोटिस 41(1) जा.फौ.)..

(viii) जमानत पर रिहाई की तिथी..........26.07.2020...

(ix) न्यायालय को भेजने की तिथी...

(x) अधिनियम एवं धाराएं...........269,277,336 भादसं ....

(xi) जमानतियों का ब्यौरा...

नाम ....पिता का नाम...

व्यवसाय...............................पता...
पहचान..

(xii) मामले के सन्दर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण...

...............................नही..

....

(xiii) अभियुक्त की स्थितिः–

पेश किया गया/पुलिस द्वारा जमानत पर/न्यायालय द्वारा जमानत पर/न्यायिक हिरासत में/फरार घोषित अपराधी
(लागू ✓ हिस्से पर चिन्ह लगाएं)............... नोटिस धारा 41(1)जा.फौ..

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

थानाधिकारी
पुलिस थाना शेरगढ
जिला जोधपुर ग्रामीण

दिनांक 17

चार्जशीट नम्बर 77 दिनांक 31.07.2020 धारा 269,277,336 भादस, मुकदमा नम्बर 169 दिनांक 17.07.2020 पुलिस थाना शेरगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण।

श्रीमानजी,

वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.2020 को श्री माधाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति मेघवाल उम्र 56 वर्ष निवासी रामपुरा भाटिया थाना मथानिया हाल STF NGT आयुक्तालय जोधपुर ने मय जाब्ता मुर्तिबा फदार्थ मय जब्ती सुदा वाहन RJ19 GB 8317 मय कपडे के थान व सेम्पल नमुना कट्रोल सेम्पल के थाने पर उपस्थित होकर पेश की कि माफिक आदेश एनजीटी नई दिल्ली के आदेश क्रमाक 329/15 दिनाक 17-05-2019 कि पालना मे माफिक निर्देश अति.पुलिस अधीक्षक श्री सुनिल के पंवार RPSके प्रभारी STF NGT निदेशानुसार परिवादी श्री शेराराम पुत्र धोकलराम जाति सुथार निवासी सुथारो कि ढाणी तेना मो 9358828315 वगैरा के परिवाद पर परिवाद मे बताये गये तथ्यो के अनुसार थाना शेरगढ गाव तेना सरहद सुथारो कि ढाणी तेना से टिम्बडी रोड पर पहुचे तो सुथारो की ढाणी के सामने ही रावलराम के खेत मे एक बडी फैक्टी कपडे सुखने के अडाण पर कपडे सुखते दिखाई दिये मौका पर वक्त 10.15 एएम पर पहुचे तथा वक्त 8.00 एएम STF NGT कार्यालय से मन SI माधाराम SI बुधसिह मय जाब्ता हैड कानि सहीराम न 58 कानि अशोक कुमार न 248 कानि किशोर कुमार कानि न 821 मय अनुबन्धीत वाहन बोलेरो RJ19TA 7143 चालक हनुमानराम न 718 मय अनुसंधान बाक्स के मौके पर पहुचे परिवादी के बताये अनुसार मौके पर आरोपी श्री रावलराम सुथार अपने 4-5 मजदूरो के साथ काम करते हूए मिले तब मन SI माधाराम ने अपना व अपने जाब्ते का STF NGT का परिचय देकर व परिवाद का हवाला देते हूए आरोपी को नाम पता पूछा तो नाम पता उपरोक्त बताया मौका पर 45X45 का पत्थर कि पटटीयो पर बास व लकडी का अडाण मिला जिस पर कपडे के थान सुखते हूए 25-30 थाना बताये व एक पैण्डिाग मशीन कपडे निचोडने कि लगी पाई पास ही कपडे धोन कि कुल 11 पानी कि होदी पाई जिसमे पाच 5 मे कपडे के थान भीगोये हूए व 6 होदी खाली मिली जिसमे से नाली कि जरिये सिलिकेट व रसायन युक्त गन्दा पानी उतर कि तरफ अपने खेत मे बडे कच्चे कुण्ड मे जाता हुआ पाया गया व पास ही एक पानी की टयूबैल खुदी हुई है जिससे काले प्लास्टीक पाईप के जरिये कच्चा होद काला त्रिपाल डाल कर बनाया हुआ है जो पानी कपडा धुलाई मे काम लिया जाता है व पानी कि होदीयो के पश्चिम कि और गीला व अद सुखा काले त्रीपाल से ढका हुआ पाया उसके पास ही मजदूरो के रहने के लिये पत्थर कि पटटीयो पर लोहे का चदर डाल कर कमरा बना हुआ है तथा पास मे ही एक टाटा ट्रक 1109 नम्बर RJ 19 GB 8317 बरंग भुरा खडी है जिसमे सुखे हूए कपडे के थान भरे हूये है जिसकी तसली के लिए उक्त भरे हूये थान को खाली किये गये तो कुल 160 थान पाये जिसको पुन गाडी मे भरे गये व काले त्रिपाल से ढक कर रस्सी से बाधे गये व उक्त माल ट्रक चालक श्री सवाईसिह पुत्र भैरुसिह जाति राजपुत (भाटी) उम्र 40 वर्ष निवासी तेना थाना शेरगढ द्वारा फैक्टी संचालक को धुलाई हेतू बालोतरा से कपडा लाना व बाद धुलाई सुखाई के 8 पहुचाना. उक्त कपडा बालोतरा से अलग अलग फैक्ट्रीयो लाना बताया है किसी का नाम पता नही बताया है कपडे के थान का नाप तोल पूछने पर कोई निश्चित माप तोला नही बताया है सब अलग अलग कुछ थान 80 मीटर 90 मीटर के होना बताया है जिसका नाप तोल करना सम्भव नही है आरोपी व ट्रक चालक के बताये अनुसार ही लिखे गये है कपडे के थान रंग बिरगे है ट्रक कि मौके पर ही अलग से फर्द जब्ती मुतिर्ब कि गई है तथा मौके पर सचालक को पूछने पर बताया कि कुल थान 300 बताये है जो होद व अडाण व पास मे तथा गाडी मे पडे है मौके पर अवैध फैक्ट्री के पूर्व दिशा मे जवाहरसिह पुत्र शैतानसिह राजपुत निवासी तेना का खेत आया हुआ है दक्षिण दिशा मे तेना गाव से टिम्बडी गाव कि तरफ डामर रोड जाती हुई दर्शायी गयी है पश्चिम दिशा मे अपने स्वय का खेत व उसके आगे टिम्बडी रोड व सुथारो कि ढाणी आई हुई है। उत्तर दिशा मे अपने स्वय कि कृषि भुमी आई हुई है। जिसमे रसाय्रन युक्त गन्दा पानी का कुण्ड खुले मे कच्चा बना हुआ है तथा पास ही एक साफ पानी का हौद बना हुआ है मोके पा संचालक रावलराम द्वारा सिलीकेट रसायन युक्त पानी खुले मे व कच्चे गढे मे छोडकर पर्यावरण व वनस्पति को नुकशान पहुचाना पाया गया उक्त पानी भुमी मे रिसाव होकर आस पास के जमीन व कुओ मे जाकर खतरनाक सक्रमण को न्यौता देना पाया जाता है मानव जीवन पर्यावरण के लिये खतरनाक है जो जुर्म धारा 269,277,336 भादस व धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा मे पाया जाता है। मौके पर पानी कि कुण्डयो से होदियो से नाली द्वारा कच्छे कुण्ड मे व खाली जमीन मे जाते हूए को अलग अलग दो प्लास्टिक कि बोतलो मे भरकर वास्ते जाच हेतू लिया गया जिसमे नमुना सैम्पल मार्क A व कट्रोल सैम्पल मार्क B अंकित किया जाकर शिल्ड चैपा किया गया मौके कि सम्पूर्ण कार्यवाही कि विडियो ग्राफी व फोटोग्राफी कानि किशोर कुमार न 821 से करवाई गई विडियो ग्राफी व फोटो ग्राफी आईन्दा कार्यालय हाजा से बनवाई जाकर शामील पत्रावली कि जायेगी। उक्त अवैध संचालक के बारे मे संचालक रावलराम को पूछने पर ना तो अनुज्ञा पत्र अपने पास होना बताया न ही पेश किया नही कपडे के बारे मे बील गेट पास अन्य किसी प्रकार के कागजात पेश नही किये मौके पर STF टीम ने प्रवेश किया उसी स्थिति मे मौके पर सम्पर्ण सिलिग कि कार्यवाही कर मौके पर अवैध कपडे कि फैक्टी खुले खेत मे होने से किसी प्रकार कि ताला बन्दी करने मे मजबूरी रही संचालक श्री रावलराम को हिदायत हुई कि मौका पर मिला सामान अडाण कपडा पैण्डिग मशीन अलावा ट्रक व ट्रक मे भरे हूए सामान के सम्पूर्ण जिम्मेदारी निगरानी व सुरक्षार्थ आप स्वय कि जिम्मेदारी होगी अत हिदायत हुई कि जिस स्थिति मे STF NGT टीम ने पाया बाद सिलिग कार्यवाही के आप सचालक को सुपुर्द किया जाता है बिना NGT व सम्बंधित न्यायालय के आदेश के बिना उक्त सामान को न छेडछाड व खुर्द बुर्द नही करोगे यदि ऐसा करते हूऐ पाये गये तो आपके विरुद्व उक्त आदेशो कि अवेहला मे कार्यवाही कि जायेगी। मौके पर जप्ती शुदा ट्रक RJ19 GB 8317 मय जब्त शुदा माल व नमुना सैम्पल मार्क A व B के थाना पहुंच कायमी प्रकरण दर्ज होगा। अत फर्द खाना तलाशी व निरीक्षण मुतिर्ब हुई

हाजरिन को पढकर सुनाई सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये व एक फर्द सं
दी गई। थाना शेरगढ पहुच कर नमुना सैम्पल मार्क ए व बी जमा मालखाना करवाये जाकर
हेतू रिपोर्ट पेश की।वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 169 दिनांक 17.07.2020 धारा 15 प
अधिनियम 1986 व 269,277,336 भादस में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान मुस्तगीस श्री माधाराम व गवाहान श्री बुद्वसिंह, श्री सहीराम, श्री कि
अशोक कुमार व श्री हनुमानाराम के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किये गये। कपड़ा धुलाई की
स्थल का मौका तस्दीक किया गया। कपड़ा धुलाई की अवैध फैक्ट्री स्थल की जमीन के मालिका
पटवारी पटवार मण्डल तेना से राजस्व रिकर्ड व ट्रेस नक्शा पत्र के संलग्न प्राप्त कर शामिल प
गया। कपड़ा धुलाई की अवैध फैक्ट्री पर कार्यवाही के दौरान एसटीएफ द्वारा की गयी कार्यवाही की
ग्राफी की सीडी पत्र के संलग्न प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी। रसायनयुक्त गंदे पानी के
नमूना सेम्पल मार्क ए व बी को जांच हेतु भिजवाया गया। लिंग गवाह श्री व्रिकमसिंह व श्री महिपाल
अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी के तहत लिये गये। प्रकरण हाजा से सम्बन्धित गवाह श्री म
सवाईराम व श्री नखतसिंह से तफ्तीश कर बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी के तहत लिये जाकर
पत्रावली किये गये। जब्त सुदा वाहन नम्बर आरजे 19 जीबी 8317 के वाहन मालिक व चालक श्री स
पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ से तफ्तीश कर वाहन के कागजा
मुख्तयारनामा की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। वाहन मालिक व चालक श्री स
से विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधान मौका तस्दीक, बयाहान गवाहान, रेवन्यू रिकार्ड, खेत खसरा
कागजात, पुछताछ मुलजिम रावलराम से पाया कि मुल्जिम रावलराम द्वारा सामलाती खेत में अपने हक
की जमीन सरहद तेना में कृषि भूमि में कपड़ा धुलाई की अवैध फैक्ट्री संचालित कर उसका अपशिष्ट
युक्त गंदा पानी आसपास के खेतों में खुले नाले के जरिये छोड कर प्रर्यावरण प्रदूषित कर आमजनों क
को संकटापन्न करना जुर्म धारा 269,277,336 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का
कारित प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में जुर्म 07 वर्ष से कम की अवधि का होने के कारण धारा 41ए सीआर
के प्रावधानों के तहत पालना करवाने बाबत नोटिस जारी कर मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथा
38 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर को तलब कर मुलजिम से अनुसंधान एव
करने पर जुर्म अन्तर्गत धारा 269,277,336 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 प्रमाणित प
पर मुलजिम रावलराम के विरूद्ध फर्द यादाश्त के क्रम में अन्तर्गत धारा 41(1)(क) जा.फौ. मुर्तिब कर
किया गया।

सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवासी तेना पुलि
थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर के विरूद्ध धारा 269,277,336 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
अपराध पूर्णतया प्रमाणित पाया गया है।

अतः चार्जशीट हाजा बरखिलाफ मुलजिम रावलराम पुत्र सुखाराम जाति सुथार उम्र 38 साल निवा
तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर के विरूद्व धारा 269,277,336 भादस में पेश कर निवेदन है कि
ट्रायल कानूनी सलूक फरमावें।

**नोटः– श्रीमानजी क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड जोधपुर द्वारा धारा 15 पर्यावरण संरक्ष
अधिनियम 1986 का इस्तगासा पृथक से पेश किया जायेगा।**

सूची दस्तावेजः–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (फर्द खाना तलाशी व निरीक्षण)वर्क–02, 2. फर्द नक्शा नजरी घटनास्थल वर्क–02, 3.
फर्द जब्ती वाहन वर्क–01, 4.बयाहान गवाहान वर्क–11, 5. घटनास्थल की विड़ियोग्राफी सीड़ी वर्क–01, 5. खेत
की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस वर्क–02, 6. नोटिस अन्तर्गत धारा 41ए जा.फौ. वर्क–01, 7.फर्द यादाश्त अन्तर्ग
धारा 41(1)(ए) जा.फौ. वर्क–01, 8. एनजीटी आदेश वर्क–09, 9.एफ.एस.एल.प्राप्ति रसीद मय कागजात वर्क–04,
10. साक्ष्य बंध पत्र वर्क–08, 11.सकूनत दस्तावेज मुलजिम व गवाहान वर्क–10, 12. मालखाना रजिस्टर की
प्रमाणित नकल प्रति वर्क–01, 13. रोजनामचा आम की प्रमाणित नकल प्रतियां वर्क–04, 14.आम मुख्तयार नामा
व वाहन के कागजात वर्क– 07

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

भवदीय

थानाधिकारी
पुलिस थाना शेरगढ़
जिला जोधपुर ग्रामीण

चार्जशीट नम्बर 77 दिनांक 31.07.2020 धारा 269,277,336 भादस, मुकदमा नम्बर 169 दिनांक 17.07.2020
पुलिस थाना शेरगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण।

सूची गवाहान

क. स.	नाम गवाहान	मोबाईल नम्बर	सांराश गवाही
1.	श्री माधाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति मेघवाल उम्र 56 वर्ष निवासी रामपुरा भाटिया थाना मथानिया हाल उनि कार्यालय STF NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोधपुर	9829993437	मुस्तगीस
2.	श्री बुद्धसिह पुत्र रेंवतसिह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी भेड पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर ग्रामीण हाल उनि कार्यालय STF NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोधपुर	9414921377	चश्मदीद गवाह
3.	श्री सहीराम पुत्र श्री रणजीताराम जाति विश्नोई उम्र 49 साल पैशा नौकरी निवासी पल्ली पुलिस थाना शेरगढ़ हाल हैड कानि 58 STF NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोधपुर	9414122260	मौतबीर घटनास्थल
4.	श्री किशोर कुमार पुत्र श्री भुराराम जाति जाट उम्र 29 साल पैशा नौकरी निवासी होलाणी पुलिस थाना गिड़ा जिला बाड़मेर हाल कानि नम्बर 821 जिला जोधपुर ग्रामीण हाल कार्यालय STF NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोधपुर	9828567695	मौतबीर घटनास्थल व विड़ियोग्राफी करना
5.	श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति विश्नोई उम्र 36 साल पैशा नौकरी निवासी भीकमकोर पुलिस थाना औसिया हाल कानि नम्बर 248 कार्यालय STF NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोधपुर	9414065594	चश्मदीद गवाह
6.	श्री हनुमानराम पुत्र श्री गोपाराम जाति मेघवाल उम्र 34 साल निवासी रोहिचा कला पुलिस थाना शेरगढ़ जिला बाड़मेर हाल कानि नम्बर 718 हाल कार्यालय STF NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जोधपुर	9929031405	चश्मदीद गवाह
7.	श्री महिपाल पुत्र श्री छोगाराम निवासी जाति विशनोई निवासी डोली पुलिस थाना कल्याणपुर हाल कानि नम्बर 1071 पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण	8078654647	एफएसएल जमा करवाना
8.	श्री विक्रमसिह पुत्र श्री भंवरलाल जाति माली उम्र39 वर्ष पैशा नोकरी निवासी मथानिया पुलिस थाना मथानिया हाल हैड कानि. न. 103 अपराध शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जोधपुर ग्रामीण	9784219319	अग्रेषण पत्र तैयार करना।
9.	श्री मोहनराम पुत्र श्री सुखाराम जाति सुथार उम्र 37 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर	9636279928	खेत गवाह
10.	श्री सवाईराम पुत्र श्री सुखाराम जाति सुथार उम्र 35 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर	7568757924	खेत गवाह
11.	श्री नखतसिंह पुत्र श्री मालमसिंह जाति सुथार उम्र 32 साल निवासी तेना पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर	7340389705	पड़ोसी गवाह
12.	श्री मनोज मीणा हाल पटवारी पटवार मण्डल तेना तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर	9644474848	रेवन्यू रिकार्ड देना।
13.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति गायणा उम्र 39 वर्ष पैशा नौकरी निवासी पडियाल पुलिस थाना भोजासर हाल हैड कानि.न. 110 पुलिस थाना शेरगढ	9982585652	मालखाना इन्चार्ज व तफ्तीशी हालात
14.	श्री बाबुलाल सीरवी पुत्र श्री किशनाराम जाति सीरवी उम्र 48 साल पैशा नौकरी निवासी चन्दावल पुलिस थाना सोजतसिटी जिला पाली हाल हाल उपनिरीक्षक पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर ग्रमीण	9414066833	कायमी प्रकरण
15.	कैलाशदान पुत्र श्री हेतुदान जाति चारण उम्र 45 साल पैशा नौकरी निवासी भियाड़ पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर हाल निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण	9929373131	नतीजा चार्जशीट

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

भवदीय

पुलिस ...
जिला जोधपुर ग्रामीण

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** जोधपुर ग्रामीण **P.S. (थाना):** शेरगढ़ **Year (वर्ष):** 2020

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0176 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/07/2020 10:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	436

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** रविवार **Date From (दिनांक से):** 19/07/2020 **Date To (दिनांक तक):** 19/07/2020

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 01:30 बजे **Time To (समय तक):** 01:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/07/2020 **Time (समय):** 10:32 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 018 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/07/2020 10:31:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** पूर्वोत्तर, 13.59 किमी **Beat No. (बीट सं.) :**

(b) **Address(पता):** TENA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KISHANA RAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MUKANARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1951 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number
1	आधार कार्ड (भा वि प प्रा)	696803103445

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TENA, शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	TENA, शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** 91 **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8003316955

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAWALRAM		पिता:SUKHARAM	1. TENA,शेरगढ़,जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान,भारत
2	MUNARAM		पिता:SUKHARAM	1. TENA,शेरगढ़,जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान,भारत
3	JASURAM		पिता:SUKHARAM	1. TENA,शेरगढ़,जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे

श्रीमान थानाधिकारी महोदय

पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर (राज)

विषय चारा से भराहुआ झोपडा तथा छोटी झूप्पी जलाने बाबत

महोदय जी

उपयुक्त विषय मे निवेदन है कि प्रार्थी किशनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति सुथार निवासी तेना जह शेरगढ जिला जोधपुर कि आ◌ैर से निवेदन है कि 19-07-2020कि मध्य रात्री बाद लगभग 1.30 बजे मेरी पुरानी ढाणी जिस मे एक झोपडा जो चारा से भरा हुआ था तथा पास मे एक छोटी झप्पी थी जिसे आग लगाकर जला दिया जिस से मुझे झोपडा उस मे भरा हुआ पशु चारा तथा छोटी झूप्पी को मिलाकर लगभग 1-50 लाख◌ा का नुकशान पहुचाया है हमारे पडोस मे अवेध कपडा धोने कि फेक्ट्री रावलराम,मुनाराम,जसुराम,पि सुखाराम जाति सुथार निवासी तेना ने दिनाक 15-07-2020 को लगाई थी जिसे हम समस्त ढाणी वालो ने मिलकर मना किया था उस के बाद भी रावलराम वगैरा नही माने तो श्रीमान उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को दिनाक 16-07-2020 को हमारे पुरे ढाणी वाले आकर फेक्ट्री को बन्द करवाने कर प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनाक 17-07-2020 को एनजीटी जोधपुर कि टीम ने फेक्ट्री पर छापा मारकर कपडा तथा एक ट्रक जब्त किया तथा फेक्ट्री को सीज किया गया। इस कारण रावलराम वगैरा ने हम सभी को धमकी दी आ◌ैर नुकशान करने कि बात कही। दिनाक 19-07-2020की मध्य रात्री बाद मेरे नुकशान करने की सुचना मेने मेरे भाईयो तथा पडोस के मोजीज लोगो को मेरे घर बुलाकर दिनाक 20-07-2020 को सुबह दी। जिस मे मौजिज व मेरी ढाणी वाले लोगो ने रावलराम को मेरे घर बुलाकर पूछताछ कि जिसमे रावलराम मे अपनी गलती स्वीकार की आ◌ैर कहा की किशनाराम जी के जो नुकसान हुआ है।उस का कारण मेरी फेक्ट्री ही है। मै आज शाम तक आप लोगो को बुलाकर किशनाराम जी से राजीनामा कर लुगा तब वहा मौजूद शैतानसिह ,गणपतसिह ,खेमसिह,मेताबसिह,नरुराम,धोकलराम,बाबुराम,रुपाराम, खियाराम सहित 15-20 लोगो ने मुझे 20-07-2020 की शाम तक को रुकने का कहा। आज सुबह तक मैने रावलराम का मौजिज लोगो के कहे अनुसार इन्तजार किया परन्तु किसी प्रकार कि राजिनामा कि कोई बात नही हुई। मुझे पुरा विशवास है कि मेरा झोपडा व झूप्पी जलाने का काम रावलराम या उस के कहे अनुसार किसी ने किया है जिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करावे।

अत श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आग जनी लगी उस के सन्दर्भ मे शीर्घ कार्यवाही कर के दोषी व्यक्ति के खिलाफ उचित कानुनी कार्यवाही करावे। एसडी किशनाराम। भवदीय किशनाराम पुत्र मुकनाराम निवासी तेना तह शेरगढ जिला जोधपुर मो 8003316955

पुलिस थाना शेरगढ जोधपुर ग्रामीण दिनाक 23-07-2020 समय 10.31 AM

इस समय यह टाईप सुदा रिपोर्ट प्रार्थी किशनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति सुथार उम्र वर्ष पैशा खेती निवासी तेना थाना शेरगढ ने उपसिथत थाना होकर पैश। मजमुन रिपोर्ट पुन प्रार्थी को पढकर सुनाई सुन समझ सही होना मान अपने हस्ताक्षर किये।

कार्यवाही पुलिस

मजमुन रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 436 भादस का बनना पाया जाता है। अत अभियोग दर्ज कर तफतीश श्री मागीलाल हैड कानि न 110 के हवाले कि गई। CCTNS मे प्रविष्टि करने पर जारी FIR क्रमाक प्रथक से निचे अंकित किये जायेगे। एसडी किशनाराम। एसडी कैलाशदान नि पु थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mangi Lal **Rank (पद):** प्रधान सिपाही

No(सं.): 110 **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): KAILASH DAN
Rank (पद): I (Inspector)
No(सं.):

थानाधिकारी
पुलिस थाना, शेरगढ़
जिला–जोधपुर ग्रामीण

C.R.B/एन.सी. ... एकीकृत जौब ... No. 2.

क्षारीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला

कृषि भवन, 24 पावटा, जोधपुर

पोस्ट / स्वयं

D No ....

Date ....

हस्ताक्षर ....

C R No. 05

Date 7th sept, 2020

काश्तकार का नाम श्री किशनाराम S/o श्री मुकना राम

एवं पता ग्राम तेना पं. स. शेरगढ़

जिला जोधपुर

प्रयोगशाला नम्बर

मिट्टी ....

पानी 7 05

सामान्य स्तर		पानी 1	2	3	4	मिट्टी S No	pH	EC	जिप्सम की मात्रा टन / है.
मिट्टी के लिए	pH	7.7				1			
pH 6.5 - 8.5	EC at 25°C	2.42				2			
EC 0 - 1.0 ds/m	CATIONS (Meq/Lit.)					3			
(1.2 घोल में)	$Ca^{++} + Mg^{++}$	5.6				4			
पानी के लिए	Na^{+}	18.6				5			
pH 6.5 - 8.0	K^{+}	—							
EC 0 - 2.0 ds/m	ANIONS (Meq/Lit.)								
SAR - 10 तक	$CO_3^{--} + HCO_3^{-}$	14.4							
SSP - 50 तक	Cl	9.8							
	SO_4	—							
RSC - 2.5 Meq/Lit तक	SAR (एस.ए.आर.)	11.14							
	SSP (एस.एस.पी.)	76.86							
	RSC (आर.एस.सी.)	8.8							

सिफारिशें :- पानी का नमूना हल्का लवणीय तथा अधिक क्षारीय है यह पानी सतत एवं सुरक्षित सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्षा जल का संग्रहण एवं भण्डारण कर सिंचाई करें।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर
DDO 22295 IFMS, 20567

सेवामें,

श्रीमान् SE(Vig.)

जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।

विषयः अवैध फैक्टरी के खिलाफ कार्यवाही बाबत्

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सुथारो की ढाणी तेना में गवलराम पुत्र श्री सूखाराम के नाम से कनेक्शन है उपरोक्ता द्वारा कृषि श्रेणी में कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन उपभोक्ता द्वारा वहाँ कपडे धोने की फैक्टरी लगाकर Commercial काम किया जा रहा है जोकि निगम नियमानुसार अवैध है तथा उपरोक्ता द्वारा प्रदूषण विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई NOC नहीं ली हुई है अतः आपसे निवेदन है कि उक्त कनेक्शन की जॉच करावे ।

पुर्व में भी 2016–2017 में उक्त कनेक्शन के खिलाफ आपके विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी लेकिन उसके उपरान्त भी उक्त व्यक्ति द्वारा पुनः कृषि कनेक्शन में कपड़े धोने की फैक्टरी चला रहा है जिससे आस–पास में गंदे पानी से बिमारीयाँ फैलती है और अभी कोविड–19 भी चल रहा है जिससे सभी बहुत डर के साये में जीवन यापित कर रहे हैं बोरवेल का पानी भी दुष्ति हो चुका है । कृपया करके उचित कार्यवाही करावे ।

हम सभी

प्रतिलिपिः–

1. जिला कलेक्टर, जोधपुर
2. सम्भागिय आयुक्त जोधपुर ।

सेवामें,

श्री मान उपखंड अधिकारी,

शेरगढ़ (जोधपुर)

विषय :- अवैध कपड़े धोने की फैक्ट्री बन्द करवाने बाबत् |

मान्यवर जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जनहित में निवेदन है कि ग्राम पंचायत तेना के टीम्बडी रोड पर सुथारो की ढाणीमें रावत राम पुत्र स्व श्री सुखा राम के खेत मे संचालित कपड़े धोने की अवैध फैक्ट्रीके कारण आस-पास की जमीन बंजर होती जा रही है तथा पास की बोरवेल का पानी दूषित होने के कारण पीने व सिंचाई के अयोग्य हो रहा है | पूर्व में यह फैक्ट्री 2016-17 में संचालित हो रही थी जिसको विभागीय कार्यवाही के तहत बन्द करवाया गया था |उस समय पास की 2 निजी बोरवेल का पानी काफी हद तकदूषित हो गया था और अगर इसी तरह अब यही फैक्ट्री संचालित होती है तो उक्त दोनों निजी बोरवेल का पानी पूर्ण रूप से दूषित हो जायेगा व सार्वजनिक बोरवेल जिस्से 1000 घरो को पीने का पानी मिलता उसका पानी भी दूषित होने की पूर्ण सम्भावना है | इस गंभीर मामले पर समय रहते उचित कार्यवाही नहीं की गयी तो आने वाले समय में आस पास के क्षेत्र की जमीन बंजर हो जाएगी तथा पीने के पानी की समस्या खड़ी होगी जो हमारे लिये बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी | फैक्ट्री के संचालन के कारण कई बीमारियों का भी प्रकोप बढ सकता है जेसा की 2016-17 मे अचानक मलेरिया जैसी बीमारी से कई लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ा था | हमने हमारे स्तर पर पूर्ण रूप से प्रयास किया ताकि फैक्ट्री का संचालन ना हो लेकिन हमारी यह कोशिश व्यर्थ साबित हुई |

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है की इस अवैध फैक्ट्री को उचित कार्यवाही करके तुरंत बन्द करवाने का कष्ट करावे ताकि जल व मृदा प्रदुषण को समय पर रोका जा सके|

निवेदन कर्ता :-

किशनाराम, धोकलराम, खियाराम, बाबुराम, मोहनराम, रूपाराम, देवाराम, नेमाराम, किशनाराम, लाभूराम पुखराज, खेताराम, शेराराम, जसराज, जबराराम, जोगाराम, देवाराम, ओमाराम, भेराराम, मांगीलाल, सवाईराम, मदनलाल, धर्माराम, सुरेश, तिल्लाराम, कमलेश, रुगाराम

सम्पर्क:- 9358828315, 9660812113,8408924729,9405303780

① [illegible]
② [illegible]
③ मांगीलाल
④ [illegible]
⑤ [illegible]
⑥ [illegible]
⑦ Rugu Suthar
⑧ [illegible]
⑨ [illegible]
⑩ खेताराम
⑪ नेमाराम
⑫ [illegible]
⑬ जबराराम
⑭ Suresh
⑮ ओमाराम

REDMI NOTE 8